

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०-जी०/बी०डी०-८-२०-(गर्दनीबाग/पूर्णविकास)-२७/२०१८-४७ पटना, दिनांक-२३.०५.२०२५

कार्यालय आदेश

सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-१४४६९/२०२३, दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसायटी लिमिटेड, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-१२.०५.२०२५ को पारित आदेश के आलोक में दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसायटी लिमिटेड, पटना को कार्यालय हेतु सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली-१९८६ के शर्तों के अधीन एक ही ब्लॉक में आवास सं०-६३/८४, ६४/८४, ६५/८४ एवं ६६/८४, ८४ सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाईचक, पटना आवंटित किया जाता है।

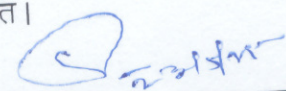
२. पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
३. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/
(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- जी०/बी०डी०-८-२०-(गर्दनीबाग/पूर्णविकास)-२७/२०१८-४५७०(भ) पटना, दिनांक:-२३.०५.२०२५

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/मान्यक सचिव, दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसायटी लिमिटेड, रोड नं०-२१, गर्दनीबाग, पटना-८००००२/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल सं०-१/गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल/कर प्रमण्डल/आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।